

कार्यालय आदेश

श्री यशपाल, आशुलिपिक कार्यालय उप श्रम आयुक्त-II, गुरुग्राम का हरियाणा सिविल सर्विस (सामान्य), नियम, 2016 के बिन्दु न0 89 में किये गये प्रावधान अनुसार 90 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर मुख्यालय बदलते हुए श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में निश्चित किया जाता है। उक्त कर्मचारी का वेतन उनके मूल कार्यालय से ही ड्रा किया जाएगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागु होंगे।

दिनांक: 07.09.2017

पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था0/03/2017/26407-10

दिनांक: 8/9/17

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. उप श्रम आयुक्त-II, गुरुग्राम।
2. निजि सचिव/श्रम आयुक्त, हरियाणा।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. कार्यालय आदेश फाईल।

(Signature)
उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।